



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



Fax No. 2780290

Website: www.res.uk.gov.in

Ph. No. 2781556, 2780290

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक 13 / ग्रा0नि0वि0/सहा0अभि0 सिविल स्थानान्तरण / 2023-24 दिनांक : 2.6.2023

(स्थानान्तरण आदेश)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या I/120994/2023/XXX(2)/E-33080 एवं शासनादेश संख्या I/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.5.2023 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अर्न्तगत विभागीय स्थानान्तरण राशि द्वारा संस्तुति किये गये विभाग में कार्यरत् निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्रम संख्या	सहायक अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	पी.एम.जी.एस.वाई डीडीहाट	परिमण्डल-नैनीताल	स्थानान्तरण शासनादेश संख्या I/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.5.23 के प्रस्तर-2 तथा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) ख (एक) के अर्न्तगत
2	श्री धीरज कुमार जोशी	प्रखण्ड-नैनीताल	प्रखण्ड-अल्मोडा	उपरोक्तानुसार
3	श्री सूर्य प्रकाश मैठाणी	प्रखण्ड-घनसाली	प्रखण्ड-चमोली	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(एक)(ख)(छ) के अर्न्तगत
4	श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय	प्रखण्ड-पी.एम. जी.एस.वाई. डीडीहाट	प्रखण्ड-चम्पावत	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(एक)(ख)(छ) के अर्न्तगत
5	श्री कृष्ण सिंह लस्पल	प्रखण्ड-पी.एम. जी.एस.वाई. कपकोट	प्रखण्ड-नैनीताल	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 10-(क) (ख) के अर्न्तगत
6	श्री चन्द्र सिंह रावत	प्रखण्ड-घनसाली	प्रखण्ड-चमोली	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(एक)(ख)(छ) के अर्न्तगत
7	श्री बसन्त कुमार देवरानी	प्रखण्ड-रूद्रप्रयाग	प्रखण्ड-कोटद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 10-(क) (ख) के अर्न्तगत

- 1-स्थानान्तरण अधिनियम की 22(1)(2)(3)(4)के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्यानिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 2-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उनका माह जुलाई 2023 का वेतन नव तैनाती प्रखण्ड से ही आहरित किया जायेगा।
- 3-नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4-यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।
- 5-धारा-25 के अर्न्तगत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

ह/


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड-देहरादून



पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड-शासन देहरादून।
- 2-मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल (स्थित भीमताल)
- 3-अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़।
- 4-अधिसासी अभियन्ता प्रखण्ड टिहरी, घनसाली, नैनीताल, अल्मोडा, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, चम्पावत पी.एम.जी.एस.वाई डीडीहाट
- 5-जिलाधिकारी टिहरी, घनसाली, नैनीताल, अल्मोडा, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, चम्पावत
- 6-मुख्य विकास अधिकारी टिहरी, घनसाली, नैनीताल, अल्मोडा, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, चम्पावत
- 7-वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी टिहरी, घनसाली, नैनीताल, अल्मोडा, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, चम्पावत
- 8-उपरोक्त सहायक अभियन्ता सम्बन्धित अधिसासी अभियन्ता टिहरी, घनसाली, नैनीताल, अल्मोडा, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, चम्पावत पी.एम.जी.एस.वाई डीडीहाट अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल नैनीताल।
- 9-महालेखाकार उत्तराखण्ड-देहरादून
- 10-व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्र बन्ध।
- 11-विभागीय बैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

  
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड-देहरादून